पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1542
दिनांक - 26.08.2026

क्राइम ब्रांच

ऑपरेशन डिजिटल कवच
डिजिटल अरेस्ट के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच की समन्वित पहल

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदया के मार्गदर्शन में कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा "ऑपरेशन डिजिटल कवच" चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य Digital Arrest के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के विरुद्ध प्रभावी जांच, त्वरित वित्तीय कार्रवाई, धनराशि की रिकवरी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा व्यापक जन-जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाना है।

अभियान के अंतर्गत साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होते ही तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एवं Money Trail Analysis के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ठगी गई धनराशि को तत्काल Hold/Lien कराने तथा पीड़ितों को धनराशि वापस कराने के लिए संबंधित बैंकिंग चैनल के साथ समन्वय कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

02-जांच से गिरफ्तारी तक प्रभावी कार्रवाई

Digital Arrest के नाम पर साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI, ED, TRAI अथवा अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित को फर्जी मुकदमे, मनी लॉन्ड्रिंग अथवा गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से मानसिक दबाव बनाकर पीड़ित से धनराशि ट्रांसफर कराई जाती है।

ऐसे मामलों में क्राइम ब्रांच द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान, उनके नेटवर्क की जानकारी तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में ADCP Crime के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के द्वारा Digital Arrest से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए Financial Intervention एवं Recovery के साथ अभियुक्तों तक पहुंचने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है।

03-Financial Intervention एवं Recovery

दिनांक 01.08.2026 से 20.08.2026 तक साइबर सेल द्वारा ₹2,40,56,807/- की धनराशि Hold/Lien कराई गई तथा ₹16,97,462.72/- की धनराशि पीड़ितों को Refund कराई गई। तथा साइबर थाना द्वारा रु0 24 लाख की वापसी करायी गयी।

साइबर अपराध के मामलों में त्वरित सूचना के महत्व को देखते हुए पीड़ितों को तत्काल 1930 पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि ठगी गई धनराशि को समय रहते रोकने का प्रयास किया जा सके।

04-अपराध से पहले बचाव—जन-जागरूकता भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा

"ऑपरेशन डिजिटल कवच" के अंतर्गत कार्रवाई को केवल अपराध होने के बाद की जांच और गिरफ्तारी तक सीमित न रखते हुए Digital Arrest के प्रति जन-जागरूकता को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।

आमजन को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है—

"Digital Arrest नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है।"

कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा सरकारी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को Digital Arrest नहीं करती और न ही गिरफ्तारी से बचने अथवा मुकदमा समाप्त करने के नाम पर धनराशि ट्रांसफर करने को कहती है।

इसी क्रम में श्रीमती किरन यादव, IPS अपर पुलिस उपायुक्त, क्राइम ब्रांच, कमिश्नरेट लखनऊ, द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार की गई Digital Arrest Awareness Film के संबंध में आमजन को जानकारी देते हुए अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जागरूकता वीडियो को स्वयं देखें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं विशेष रूप से बुजुर्ग परिजनों के साथ साझा करें, ताकि Digital Arrest के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के प्रति अधिक से अधिक नागरिक जागरूक एवं सतर्क हो सकें।

05-उ0प्र0 पुलिस की विशेष Awareness Film -

Digital Arrest के प्रति जन-जागरूकता को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार विशेष Awareness Film, जिसमें नाना पाटेकर द्वारा प्रभावशाली भूमिका निभाई गई है, को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने की अपील कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही हैं

"एक वीडियो देखें, एक परिवार को जागरूक करें।"

06-Digital Arrest की स्थिति में क्या करें...?

- घबराएं नहीं।
- कोई धनराशि ट्रांसफर न करें।
- OTP अथवा बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
- कॉल समाप्त करें एवं स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें।
- साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल 1930 पर शिकायत करें।

07-ऑपरेशन डिजिटल कवच — एक समन्वित प्रयास

जांच भी | रिकवरी भी | गिरफ्तारी भी | जागरूकता भी

"ऑपरेशन डिजिटल कवच" के माध्यम से कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा Digital Arrest के विरुद्ध अपराध की पहचान से तकनीकी जांच तक, Financial Intervention से धनराशि की रिकवरी तक, अभियुक्तों की गिरफ्तारी से लेकर आमजन को जागरूक करने तक समन्वित रूप से कार्रवाई की जा रही है। Digital Arrest से डरें नहीं—सतर्क रहें, सत्यापित करें और तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें।"- **श्रीमती किरन यादव, I.P.S.**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1543

दिनांक-26.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01- कार्यवाही का विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युमन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत 01 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं0-123047/23 थाना कृष्णा नगर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी सैनी निवास आसाराम बाबू रोड़ आश्रम मानसनगर उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सुनील कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी सैनी निवास आसाराम बाबू रोड़ आश्रम मानसनगर उम्र 36 वर्ष।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1544

दिनांक- 26.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस द्वारा दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार का किराना सामान बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक **13.07.2026** को वादी श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र रामखेलावन निवासी सरोसा भरोसा, थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दुकान का शटर तोड़कर लगभग **40,000 रुपये नगद एवं परचून का सामान चोरी** कर लेने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पारा पर **मु0अ0सं0 244/2026, धारा 305ए/331(4) बी0एन0एस0** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से **02 पुलिस टीमों का गठन** किया गया। दिनांक **25.08.2026** को थाना काकोरी पुलिस टीम घुरघुरी तालाब के पास चेकिंग में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि राजेन्द्र गुप्ता की किराना दुकान का शटर तोड़कर की गई चोरी की घटना में शामिल तीन व्यक्ति चोरी किए गए किराना सामान के साथ **असरखेड़ा की तरफ से मोहान रोड स्थित एक स्कूल के पास** खड़े हैं।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर 01-दिपांशु पुत्र श्रीराम जी पाण्डेय निवासी निसारूपुर थाना ईंटियाथोक जनपद गोण्डा हालपता ग्राम असरखेडा थाना काकोरी लखनऊ उम्र लग 19 वर्ष 02-अनिकेत पुत्र सजीवन पाल निवासी ईंटगाँव थाना काकोरी लखनऊ उम्र लगभग 19 वर्ष व 03- बाल अपचरी उम्र लगभग 16 वर्ष को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार का किराना सामान बरामद हुआ।

पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिनांक **13/07/2026 की रात्रि** में एक साथ मिलकर पुरैना मोड़, मोहान रोड के पास स्थित गुप्ता जी की किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्त दीपांशु एवं अनिकेत को समय करीब 21:42 बजे गिरफ्तार** किया गया तथा **बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लेकर** आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियोग में धारा **317(2) बी0एन0एस0** की वृद्धि की गई है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो/ संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का विवरण

1. **दीपांशु पुत्र श्रीराम जी पाण्डेय**, निवासी निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा, हाल पता ग्राम असरखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. **अनिकेत पुत्र सजीवन लाल**, निवासी ईंटगांव थाना काकोरी जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष।
3. **बाल अपचारी**, उम्र लगभग 16 वर्ष।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0 244/2026, धारा 305ए/331(4) बी0एन0एस0 थाना काकोरी लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण

- 02 पेटी क्लीनिक प्लस शैम्पू
- छोहारा लगभग 08 किलोग्राम
- गोमती मसाला (गुटखा) 10 पैकेट मय तंबाकू
- राजश्री मसाला (गुटखा) 05 पैकेट मय तंबाकू
- दालचीनी 500 ग्राम
- मखाना 01 किलोग्राम
- एसएनके मसाला 10 पैकेट मय तंबाकू
- स्टार ब्रांड बीड़ी 02 पैकेट
- डव शैम्पू 05 लड़ी
- काजू लगभग 01 किलोग्राम 500 ग्राम
- कमलापसंद मसाला (गुटखा) 05 पैकेट मय तंबाकू
- सुपरफास्ट तंबाकू 05 पैकेट
- धनिया लगभग 02 किलोग्राम

05-अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

बाल अपचारी—

01-मु0अ0सं0 84/2026, धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट, थाना काकोरी,लखनऊ।

अभियुक्त दीपांशु—

01-मु0अ0सं0 232/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री सतीश चन्द्र राठौर, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री छत्रजीत सिंह, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री दयानन्द तिवारी, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 गौरव भदौरिया, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 देवेन्द्र कुमार लवानियां, थाना काकोरी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1546

दिनांक-26.08.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे स चोरी की 01 अदद पायल व 01 अदद बिछिया सफेद धातु बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

वादी मुकदमा श्रीमती राजरानी पत्नी राकेश, निवासी ग्राम टिकरी, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र करीब 57 वर्ष द्वारा दिनांक 29.06.2026 को थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई थी कि टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका ध्यान भटकाकर चांदी की पायल, बिछिया, सोने की बूंदा-माला एवं लगभग 2,000 रुपये नकद चोरी कर लिए गए। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 258/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. बावत अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

दिनांक 26.08.2026 को उ0नि0 श्री सौरव सिंह मय हमराही पुलिस बल के साथ चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं चोरी की घटना के अनावरण हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटना में संलिप्त एक व्यक्ति चौकी सेक्टर-जे के पास खड़ा है तथा किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम बेलवा, पोस्ट इंटौजा, थाना इंटौजा, लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष** बताया।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित **एक अदद पायल एवं एक अदद बिछिया, सफेद धातु** बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उसने टेढ़ी पुलिया चौराहे पर चाट किंग दुकान के सामने एक महिला का ध्यान भटकाकर उसके पास से पायल, बिछिया, माला एवं लगभग 2,000 रुपये नकद चोरी किए थे। अभियुक्त द्वारा माला को एक राह चलते व्यक्ति को बेच दिया गया था तथा उससे प्राप्त धनराशि खर्च कर दी गई। चोरी किए गए माल में से पायल एवं बिछिया उसके पास शेष बची हुई थी, जिसे वह बेचने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

03- अनावृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- **258/2026**, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04- आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- **328/2022**, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना इंटौजा, जनपद लखनऊ।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता एवं व्यवसाय-

01-अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम बेलवा, पोस्ट इंटौजा, थाना इंटौजा, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष।

06-गिरफ्तारी स्थान व दिनांक

दिनांक 26.08.2026 को समय करीब 00:14 बजे चौकी सेक्टर-जे के पीछे से

07- बरामदगी-

- 01 अदद पायल सफेद धातु
- 01 अदद बिछिया, सफेद धातु

08- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री सौरव सिंह।
3. का0 राहुल कुमार।
4. का0 रवेन्द्र पाल।
5. का0 आयुष।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1545

दिनांक-26.08.2026

जोन-पूर्वी/थाना-बीबीडी

- **थाना बीबीडी पुलिस टीम द्वारा घर में घुस कर चोरी करने वाले 02 नकबजन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से चोरी किये गये सामान जिसमें 01अदद पाना स्टील , 03 अदद टोटी स्टील, 02 अदद क्रोमियम गुटका, 01 अदद पेचकस स्टील बरामद किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 25.08.2026 को थाना बीबीडी पर वादी मुकदमा श्री मनोज कुमार पुत्र जवाहर लाल, निवासी-कुम्हारनपुरवा, निकट रेगुलेटर चौराहा, जुग्गौर थाना बीबीडी लखनऊ उम्र करीब-36 वर्ष की तहरीरी सूचना बाबत वादी के घर का ताला, अलमारी व बक्शा आदि तोड़कर घर में लगी स्टील की तीन टोटी, ताँबा का दो लोटा व घर में रखा टूल किट आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 280/2026 धारा 305/331(4)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद चौधरी द्वारा संपादित की जा रही है।

मुकदमें की घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विवेचक उ0नि0 श्री प्रमोद चौधरी मय हमराहीगण के माल मुल्जिमान की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं मुखविरान की मदद से थाना बीबीडी क्षेत्र में इन्दिरा नहर के पास से मुकदमें से सम्बन्धित घटना कारित करने वाले अभियुक्त 01-रवि शाह पुत्र वीरेंद्र शाह निवासी ग्राम गढ़ी मजरे भिटौली कलां थाना सतरिख जनपद बाराबंकी उम्र 19 वर्ष की दिनांक 26.06.2026 को समय 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमें से सम्बन्धित चोरी गये सामान को सतरिख रोड चिनहट क्षेत्र में चाँद बाबू नाम के कबाड़ी के यहाँ बेचना बताया गया, अभियुक्त रवि शाह के बयान के आधार पर कबाड़ी चांद बाबू पुत्र अब्दुल कद्दूस निवासी आदर्श विहार कॉलोनी थाना चिनहट उम्र 38 वर्ष को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर चोरी गये सामान जिसमें 01अदद पाना स्टील , 03 अदद टोटी स्टील, 02 अदद क्रोमियम गुटका, 01 अदद पेचकस स्टील बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमें धारा 117(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। मुकदमें में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता एवं व्यवसाय-

01-रवि शाह पुत्र वीरेंद्र शाह निवासी ग्राम गढ़ी मजरे भिटौली कलां थाना सतरिख बाराबंकी उम्र 19 वर्ष

02. चांद बाबू पुत्र अब्दुल कद्दूस निवासी आदर्श विहार कॉलोनी चिनहट उम्र 38 वर्ष (कबाड़ी)

03-पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 280/2026 धारा 305/331(4)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना बीबीडी जनपद लखनऊ

04- बरामदगी-

- 01अदद पाना स्टील
- 03 अदद टोटी स्टील
- 02 अदद क्रोमियम गुटका,
- 01 अदद पेचकस स्टील

05- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रमोद चौधरी थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।
2- का0 मनीष कुमार शर्मा थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।
3- का0 विकास सहगल थाना बी0बी0डी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।